

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

अनुवान :- नरेन्द्र सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या :- 201/2024

निर्णय दिनांक :- १५/०७/२०२४

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 21 कस्बा तारानगर जिला चूरु।
2. प्रियंका कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 21 कस्बा तारानगर जिला चूरु।
3. वासु कंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 21 कस्बा तारानगर जिला चूरु।

— प्रार्थीगण —

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरु

— अप्रार्थी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :- 1. श्री प्रभुदयाल सहारण अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरु वास्ते अप्रार्थी।

—: निर्णय :-

प्रार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खसरा नं. 180 तादादी 3.2877 हैक्ट. रोही मौजा जिगसाना ताल तहसील तारानगर जिला चूरु के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण है। कृषि भूमि के पड़ोसियान हमेशा सीव बावत प्रार्थीगण के साथ झगड़ा फसाद करते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीगण अपने खेत के चारो तरफ बाड़ बगैरह सही ढंग से नहीं कर सकते ना ही अपने खेत को सुधार सकते हैं। व उक्त कृषि भूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवा कर इसके चारों ओर पत्थर गढ़ी करवाने चाहते हैं। आदि-आदि।

इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से राजपैरोकार उपस्थित। राजपैरोकार ने प्रकरण में राजहित नहीं होना जाहिर किया। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी.
तारानगर (चूरु)

तहसील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण खेत कृषि भूमि खसरा नं. 180 तादादी 3.2877 हैक्ट. रोही मौजा जिगसाना ताल तहसील तारानगर जिला चूरु के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी में है। प्रार्थीगण अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाने चाहते हैं। प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है।

वर्णित विवेचन से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नं. 180 तादादी 3.2877 हैक्ट. रोही मौजा जिगसाना ताल सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थीगण वहन करेगा। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/07/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हुआ गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)
तारानगर (चूरु)

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)
तारानगर (चूरु)